राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

कमांक एफ 13(2)/परावि/प्रशा–I/चिकित्सा/बैठक/2011/1253 जयपुर,दिनाक 12/6/15

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,(समस्त)

विषयः– दिनांक 15.6.2015 को वीडियो कांफ्रेस सेन्टर पर समस्त सूचनाओ सहित उपस्थित रहने बावत ।

प्रसंगः– प.25 (4)/आयु./2015 पार्ट जयपुर,दिनांक 8.6.2015 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य मे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को प्रातः 6.40 से 7.40 तक आयोजित किया जावेगा । उक्त आयोजन सुचारू एवं व्यवस्थित किये जाने तथा समारोह के आयोजन प्रगति की समीक्षा हेतु माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 15.6.2015 को साय 3.00 बजे वीडियो कांफ्रेस रूम शासन सचिवालय,जयपुर से वीडियो कांफेस की जायेगी ।

अतः निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 15.6.2015 को जिला मुख्यालय स्थित वीडियो कांफ्रेस सेन्टर पर समस्त सूचनाओ सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

संलग्नः- आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग का पत्र दिनांक 8.6.15

शासन उप सचिव(प्रशा–I)

No. 3777 PS/RD&PR/291
Date 12 JUN 2015

क्रमांक शा.स./ग्रा.राज/ 6890
दिनांक 1240

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांकः– प.25(4)आयु./2015 पार्ट

जयपुर दिनांकः 8 JUN 2015

आदेश

राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है। राज्य मुख्यालय जयपुर, समस्त जिला मुख्यालय, समस्त ब्लॉक मुख्यालय तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 21 जून, 2015 को प्रातः 6.40 से 7.40 तक अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित किया जायेगा। समारोह आयोजन में समस्त केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों, संस्थानों, निगमों, बोर्ड, स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहभागिता ली जावेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन सुचारू एवं व्यवस्थित किये जाने तथा समारोह के आयोजन प्रगति की समीक्षा हेतु **माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग तथा मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 15.06.2015 को सायं 3.00 बजे वीडियो कान्फ्रेन्स रूम शासन सचिवालय, जयपुर से वीडियों कांफ्रेस** की जायेगी, जिसमे निम्नांकित अधिकारी अपने संभाग/जिला मुख्यालय स्थित वीडियों कांफ्रेस सेन्टर पर समस्त सूचनाओं सहित उपस्थित रहने का श्रम करावे–

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त जिला कलक्टर्स
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् राजस्थान
4. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
5. समस्त उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
7. समस्त जिला आयुर्वेद अधिकारी

(सेवा राम स्वामी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय आयुर्वेद विभाग।
2. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त वी.सी. हेतु समस्त मुख्य कार्य.अधि. को निर्देशित करने का श्रम करावे।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स राजस्थान।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् राजस्थान।
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित कर लेख है कि स्वयं एवं अधीनस्थ अधिकारियों को वी.सी. में उपस्थित होने बाबत् निर्देशित करावे।
8. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि स्वयं एवं अधीनस्थ अधिकारियों को वी.सी. में उपस्थित होने बाबत् निर्देशित करावे।
9. प्रमुख सिस्टम एनालिस्ट एवं प्रभारी इंचार्ज, वीडियो कान्फ्रेन्स रूम शासन सचिवालय, जयपुर।

शासन उप सचिव